हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्याःपीसीएच–एचए (1)2/2019–54274-287 शिमला–171009 दिनांक 22.8.2020.

अधिसूचना

क्योंकि उपायुक्त, किन्नौर के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, जिला किन्नौर, के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप–धारा(1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला किन्नौर के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को निम्नानुसार विभाजित/पुनर्गठित करने एवं नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) के प्रयोजन हेतू ग्राम सभाओं के गठन करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई–राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला किन्नौर के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते है;

यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन/जोड़ने/काटने व फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 7 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला किन्नौर को प्रस्तुत कर सकेगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला किन्नौर के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने और उनके लिए नई ग्राम सभाओं के गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला किन्नौर, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

क0 सं0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या–2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या–4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामो के नाम	कोष्ठ संख्या–3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
विकास खण्ड कल्पा						
1	कल्पा	1 कल्पा	युवारंगी	1 युवारंगी	1. कल्पा	

		2 रादुले			2. रादुले	
		3 सारेयो			3. सारेयो	
		4 युवारंगी			4- **D.P.F.242**	
		5 D.P.F.242				
विकास खण्ड पूह						
2	हांगो	1 हांगो	चुलिंग	1 चुलिंग	1 हांगो	
		2 हंगमत			2 हंगमत	
		3 दुंग			3 दुंग	
		4 चुलिंग				
3	पूह	1 पूह	डूबलिंग	1 डूबलिंग	1 पूह	
		2 दानमोछे			2 दानमोछे	
		3 लाबरांग			3 लाबरांग	
		4 डूबलिंग				
		5 डाबलिंग				
4	रारंग	1 रारंग खास	अकपा खास	1 अकपा खास	1 रारंग खास	
		2 अकपा खास			2 शिलापुर	
		3 शिलापुर			3 स्वादेन	
		4 स्वादेन			4 खादरा	
		5 खादरा				
विकास खण्ड निचार						
5	छोटा कम्बा	1 छोटा कम्बा	बड़ा कम्बा	1 बड़ा कम्बा	1 छोटा कम्बा	
		2 घरशु		2 शोरंग	2 घरशु	
		3 बड़ा कम्बा				
		4 शोरंग				
6	कटगाँव	1 कटगाँव	क्राबा	1 क्राबा	1 कटगाँव	
		2 डी०पी०एफ़०सी०92-		2 सुरचो	2 डी०पी०एफ़०सी०-92	
		3 क्राबा		3 होए	3 शांगो	
		4 सुरचो		4 चमाशो	4 बई	

		5 शांगो				
		6 बई		5 सोमादे	5 कानगरंग	
		7 कानगरंग			6 दुतरंग	
		8 दुतरंग				
		9 होए				
		10चमाशो				
		11सोमादे				
7	तराण्डा स्थित निगुलसरी	1 निगुलसरी	चौरा	1 चौरा	1 निगुलसरी	
		2 तराण्डा		2 शिलानी	2 तराण्डा	
		3 ननस्पो		3 कफौर	3 ननस्पो	
		4 छोड़ा			4 छोड़ा	
		5 थाच			5 थाच	
		6 चौरा				
		7 शिलानी				
		8 कफौर				

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याःपीसीएच–एचए(1)2/2019– 54275-287 शिमला–171009 दिनांक 22.8.2020.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू निम्नलिखित को प्रेषित हैः–

1. उपायुक्त किन्नौर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह इस अधिसूचना के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त आप्पतियों/आक्षेपों, यदि कोई हों, का तुरन्त निपटारा करके अपनी अन्तिम सिफारिश/आपत्तियों तथा आक्षेपों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से 3 दिनों की अवधि के भीतर विशेष वाहक द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें।
2. जिला पंचायत अधिकारी किन्नौर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।
3. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना की एक प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान/सचिव को सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार करने हेतू तुरन्त उपलब्ध करवाएं तथा इसका व्यापक प्रचार भी सुनिश्चित करें।

4. समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश को (सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से) इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना की प्रति का ग्राम सभा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत के सूचना पटट् पर चसपान सुनिश्चित करवाएगें तथा इस अधिसूचना का समस्त ग्राम सभा क्षेत्र में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।

अतिरिक्त निदेशक,
पंचायती राज विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09